भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5244
बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-एसजीएमबीवाई हेतु जागरूकता अभियान</u>

5244. श्री रामभुआल निषादः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्य सरकारों के अधिकारी प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के संबंध में गांवों में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम सभा स्तर पर शिविरों का आयोजन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत के कारण उक्त योजना के अंतर्गत घटिया गुणवत्ता वाले सौर पैनल लगाए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत कितने घरों का चयन किया गया है और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में अब तक कितने घरों में सौर पैनल लगाए जा चुके हैं?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

क) और (ख): प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीः एमबीवाई) के बारे में ग्रामीणों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्यों ने पहल की हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ग्राम सभा स्तर सहित 1500 से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं।
- पश्चिम गुजरात डिस्कॉम और जम्मू डिस्कॉम ने क्रमशः ग्राम सभा और पंचायती राज संस्थान स्तर पर प्रचार गतिविधियां शुरू की हैं।

इसके अतिरिक्त, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, टीवी विज्ञापन अभियान, क्षेत्रीय चैनलों सहित एफएम स्टेशनों पर रेडियो अभियान आदि जैसे जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से पीएमएसजीः एमबीवाई के लिए जागरूकता पैदा कर रहा है।

(ग) पीएमएसजीः एमबीवाई के अंतर्गत स्वदेशी स्तर पर निर्मित सौर सेलों का उपयोग करके देश में निर्मित सौर मॉड्यूलों का उपयोग करना अनिवार्य है। इसके अलावा, मंत्रालय के पास मॉड्यूलों और निर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) है और केवल उन सौर मॉड्यूलों की खरीद करना अनिवार्य है जो एएलएमएम के तहत अनुमोदित हैं। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए उपयोग किए जा रहे सौर उपकरणों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने सौर मॉड्यूलों, इनवर्टरों और संयंत्रों के शेष के लिए विस्तृत विनिर्देश निर्धारित किए हैं। डिस्कॉम्स द्वारा निरीक्षण के समय इसकी भी जांच की जाती है। इसलिए, सौर पैनलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए योजना में उचित जांच बिंदु रखे गए हैं।

(घ) पीएमएसजीः एमबीवाई ऐसे सभी आवासीय उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है, जिनके पास देश भर में किसी बिजली वितरण यूटिलिटि (अर्थात डिस्कॉम) से मान्य उपभोक्ता खाता नंबर है, जिसमें उत्तर प्रदेश का सुलतानपुर जिला भी शामिल है। दिनांक 26.3.2025 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में इस योजना के तहत 561 घरों ने रुफटॉप स्थापित करने की सूचना दी है।

*****